सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3450/JH/37/2024-ESDW-RU-IV   दिनांक: 11/09/2025

सेवा मे,

श्री शशि प्रकाश सिंह
उपायुक्त,
जिला – हजारीबाग,
कार्यालय उपायुक्त,
हजारीबाग, झारखण्ड-825301,
E.mail: dc-haz@nic.in

विषय: कोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध मेंनिर्मल गंझू श्री -, गिद्दी बस्ती, प्रखंड एवं थानाडाडी-, जिलाका दिनांक रहित (झारखंड) हजारीबाग़-अभ्यावेदन ।/पत्र

संदर्भ: (i) आयोग का नोटिस दिनांक 27.11.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)
(ii) उपायुक्त का कार्यालय का पत्र सं 1180/सा दिनांक 26.05.2025

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 03:00** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री निर्मल गंझू,
गिद्दी बस्ती,
प्रखंड एवं थानाडाडी-,
जिला(झारखंड) हजारीबाग़-
Mobile No:8002523011

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/DEV-3450/JH/37/2024-ESDW** दिनांक: **27.11.2024**

श्रीमती नैन्सी सहाय,
उपायुक्त, हजारीबाग,
कार्यालय उपायुक्त,
हजारीबाग, झारखंड
ई-मेल: dc-haz@nic.in

विषय: कोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध में- श्री निर्मल गंझू, गिद्दी बस्ती, प्रखंड एवं थाना-डाडी, जिला-हजारीबाग़ (झारखंड) का दिनांक निरंक का पत्र/अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री निर्मल गंझू से दिनांक निरंक में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

9879-900 O/C

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री निर्मल गंझू,
गिद्दी बस्ती,
प्रखंड एवं थाना-डाडी,
जिला-हजारीबाग़ (झारखंड)

सेवा में, श्रीमति डॉ० आशा लकड़ा
सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग
[redacted]। भारत सरकार, नई दिल्ली

विषयःकोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध में ध्यान आकृष्ट करने और उचित निदान हेतु आवेदन।

माननिय मंत्री जी,

आपके समक्ष लोकहित से जुडे इस विषय पर मैं निर्मल गंझू पिता स्व0 शिवनाथ , निवासी ग्राम गिद्दी बस्ती पो+थाना–गिद्दी (ए), परगना–जगेशर, जिला–हजारीबाग, झारखण्ड, सादर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मौजा गिद्दी, अंचल डारी, थाना संख्या–36, हल्का 08, के विभिन्न खाता और प्लांट कि भूमि जो जिला–हजारीबाग, झारखण्ड से संबंधित है, इसको कर्णपुरा माईनिंग सिंडिकेट, एन.सी.डी.सी. वर्तमान में सी.सी.एल. आउट सोर्सिंग एवं तत्कालिन बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, और अभी तक इस भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् भूकम के वैध मालिको को इसका उचित मुआवजा और रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

महाशय, अपने वाजिब अधिकार और देय मुआवजा के लिये हम इस क्षेत्र के रैयतों द्वारा व्यक्गित स्तर पर भी प्रयास किया गया है पर कोई सार्थक लाभ नहीं नहीं मिला है, हमारी गरीबी और अशिक्षा का लाभ नहीं मिला है, हमारी गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाते हुए हमारी मांग पर टाल मटोल किया जाता है।

महाशय, इस क्षेत्र के हम भुमालिक अति साधारण आर्थिक पृष्ठ भूमि के लोग है जिनकी आजिविका का साधन कृषि रहा है, भूमि के अधिग्रहण और इसका उचित मुआवजा हम वैध भूमि मालिको को नहीं मिलने के कारण हमारी स्थिति और दयनिय हो गई है, हमारे पास खेती के लिये प्रयाप्त भूमि नहीं है और रोजगार के अवसर नहीं है, इसके साथ ही भूमि का मुआवजा भी हमें नहीं मिला है जिस कारण हम कोई स्वरोजगार भी नहीं कर पा रहे है।

अतः उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे सादर अनुरोध है कि आप इनज न सारोकार से जुड़े विषय पर अग्रणी और सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए कर्णपुरा माईनिंग सिंडिकेट, सी. सी.एल. आउट सोर्सिंग जेसी कार्यरत कंपनियों से हमें मुआवजा और रोजगार प्रदान करवाने कि कृपा करें।

महाशय, आपका यह सहयोग क्षेत्र में आपकी औश्र काग्रेस पार्टी साथ ही इस वर्तमान सरकार के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न करेगा।

आपका विश्वासी,

रैयतों का हस्ताक्षर

निर्मल गंझू

M: 8002523011
गिद्दी बस्ती (जिला) हजारीबाग
प्रखण्ड डाडी
थाना गिद्दी